

प्रेषिका,

कु० निशा श्रीवास्तव,
प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
हरदोई।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सरकुलर लेटर संख्या 16/चार-एच-18/एडि०ए० दिनांकित 13.05.2014 के अनुपालन में वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2009-2010 तक के चल-अचल संपत्ति का विवरण माननीय महोदय को प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2010-2011 एवं वित्तीय वर्ष 2011-2012 की चल-अचल संपत्ति का विवरण वित्तीय वर्ष 2012-2013 में तथा वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 की चल-अचल संपत्ति का विवरण वित्तीय वर्ष 2014-2015 में तथा वित्तीय वर्ष 2014-2015 व वित्तीय वर्ष 2015-2016 की चल-अचल संपत्ति का विवरण वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रेषित किया जाना था। मेरे द्वारा दिनांक 29.06.2019 को वित्तीय वर्ष 2014-2015 से वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक की चल-अचल संपत्ति का विवरण महोदय की सेवा में प्रेषित किया गया जिस पर माननीय महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 से वित्तीय वर्ष 2013-2014 तक की चल-अचल संपत्ति का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2014-2015 से वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक के प्रेषित संपत्ति विवरण का पुनरीक्षित विवरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा विलम्ब के संबंध में भी आख्या आहूत की गयी है।

उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि मेरे न्यायिक सेवा में आने के पूर्व मेरे पिता जी का वर्ष 2004 में स्वर्गवास हो गया था। मेरे न्यायिक सेवा में आने के पश्चात मेरी तीन बहनों का विवाह वर्ष 2011 तक संपन्न हो गया, जिसके पश्चात से मेरी माता जी लगातार मेरे साथ ही निवास कर रही थीं। माह सितम्बर 2011 में मेरी माता जी श्रीमती पदमा श्रीवास्तव के फिसल कर गिर जाने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया जिससे उनके पैर का आपरेशन कराना पड़ा और उनके पैर में प्लेट डाली गयी, जिसका लगभग एक वर्ष तक इलाज चलता रहा। मेरी माता जी के

११
२८/९/२०२०

पैर में प्लेट डालने का आपरेशन सही नहीं होने के कारण मेरी माता जी चलने-फिरने में लगभग असमर्थ हो गयीं, जिसके कारण उनकी देखभाल में मुझे लगातार अकेले ही व्यस्त रहना पड़ा। उसके पश्चात मेरी माता जी को हृदय रोग संबंधी बीमारी हो गयी, जिसका आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली) में इलाज चलता रहा और उनकी धमनियों में 90 प्रतिशत से अधिक ब्लाकेज होने के कारण उनकी ओपेन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी और दौरान इलाज दिनांक 11.03.2014 को उनकी मृत्यु हो गयी। उपरोक्त कारणों से इस दौरान मैं शारीरिक व मानसिक रूप से काफी परेशान व पीड़ाग्रस्त रही और मुझे यह स्मरण नहीं रहा कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2012 से वित्तीय वर्ष 2014-2016 तक के चल-अचल संपत्ति का विवरण माननीय महोदय को प्रेषित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 की चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रेषित करते समय मेरे द्वारा यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-2011 से 2015-2016 तक की संपत्ति का विवरण माननीय न्यायालय को समय से प्रेषित नहीं किया गया है तब अविलम्ब ही मेरे द्वारा दिनांक 29.06.2019 को उपरोक्त वर्षों के चल-अचल संपत्ति का विवरण माननीय महोदय को प्रेषित किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त वर्षों की चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रेषित किये जाने में विलम्ब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हुआ है। उक्त विलम्ब मेरे द्वारा जान बूझकर नहीं किया गया है। अतः मेरे साथ उत्पन्न हुयी उक्त प्रतिकूल परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो विलम्ब हुआ है, उसे क्षमा करने की कृपा करें। मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 से वित्तीय वर्ष 2013-2014 तक की चल-अचल संपत्ति का विवरण व वित्तीय वर्ष 2014-2015 से वित्तीय वर्ष 2016-2018 तक की चल-अचल संपत्ति का पुनरीक्षित विवरण माननीय महोदय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है, जिसे स्वीकार करने की कृपा करें। मेरे द्वारा भविष्य में उपरोक्त सरकुलर के अनुपालन में चल-अचल संपत्ति का विवरण समय से माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित किया जाता रहेगा।

भवदीया,

Nisha Srivastava
18/9/2020

(निशा श्रीवास्तव)

प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, हरदोई

दि०- 18.09.2020